का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं (संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं को मिलाकर) में अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि–12.12.2022 के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण–पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

6. चयन प्रक्रियाः– लिखित परीक्षा एवं व्यावहारिक जाँच परीक्षा के आधार पर।

A. लिखित परीक्षा– लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। इस परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्नांकित विषय होंगेः–

(क) सामान्य अध्ययन – प्रश्नों की संख्या–50

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित – प्रश्नों की संख्या–50

(ग) मानसिक क्षमता जाँच (Comprehension/Logic/Reasoning/Mental Ability) – प्रश्नों की संख्या–50

प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या–150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जायेगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होंगे। यदि हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।

नोटः–कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौंतीस) प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

पाठ्यक्रमः– लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से हैः–

खण्ड (क):– सामान्य अध्ययनः– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध के बारे में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते है।

(i) सम–सामयिक विषयः– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ।

(ii) भारत और उसके पड़ोसी देशः– पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में बिहार का योगदान।

खण्ड (ख):–सामान्य विज्ञान एवं गणितः– इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं–

(i) सामान्य विज्ञानः– भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल एवं कम्प्यूटर के बेसिक/वर्डस प्रोसेसिंग के ज्ञान से संबंधित मौलिक प्रश्न।

(ii) गणितः– संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि।

खण्ड (ग):–मानसिक क्षमता जाँचः– इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं यथा– सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, श्रृंखला,

वर्गीकरण, दर्पण प्रतिबिम्ब, छिपी हुई आकृति, चित्र मैट्रिक्स, कागज काटना, समूह छवियाँ, आकार निर्माण क्यूब्स और पासा, सादृश्यता, विश्लेषणात्मक तर्क, जल प्रतिबिम्ब, प्रतिरूप पूर्ण करना, कागज के मोड़, नियम पहचान, डॉट स्थिति, चित्र गठन एवं विश्लेषण।

लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 05 गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन व्यावहारिक जाँच (Skill Test) परीक्षा हेतु किया जायेगा।

B. <u>व्यावहारिक जाँच परीक्षाः–</u>

(i) आशुलेखन जाँच परीक्षा में हिन्दी एवं अंग्रेजी श्रुतिलेखन हेतु 80 (अस्सी) शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 (तीन सौ बीस) शब्दों को 04 (चार) मिनट {(1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ में लेखापन जाँच (डिक्टेशन लेख)} की अवधि में उपलब्ध कराये गये नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना आवश्यक होगा। निर्धारित श्रुतिलेखन के बाद 02 मिनट अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु देय होगा। श्रुतिलेखित लेखांश के टंकण हेतु कुल 20 (बीस) मिनट देय होगा।

(ii) टंकण जाँच परीक्षा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) कम्प्यूटर पर ली जाएगी।

(iii) हिन्दी टंकण जाँच परीक्षा में Mangal font in Remington Gail Keyboard Layout का प्रयोग किया जाएगा।

(iv) हिन्दी टंकण जाँच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 300 (तीन सौ) शब्दों को 10 (दस) मिनट में टंकित करना अनिवार्य है।

(v) अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा में "UTF-8" Under English (US) Keyboard Layout का प्रयोग किया जायेगा।

(vi) अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 10 (दस) मिनट में कुल 300 (तीन सौ) शब्दों को टंकित करना अनिवार्य है।

(vii) अभ्यर्थी Typing की शुरूआत के दौरान उपयुक्त Keyboard Layout का चयन कर लें, Typing के दौरान Keyboard Layout बदलने से अभ्यर्थी द्वारा Type की गई सामग्री मिट सकती है।

(viii) बेंचमार्क दिव्यांग (दृष्टि बाधित) अभ्यर्थियों को नियमानुसार क्षतिपूरक समय दिया जायेगा।

(ix) व्यावहारिक जाँच परीक्षा में सफल होने के लिए आशुलेखन गति में 10 प्रतिशत एवं टंकण में 1.5 प्रतिशत से अधिक अशुद्धि मान्य नहीं होगा।

(x) अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान Computer Screen पर समय–समय पर प्रदर्शित निर्देशों को अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

नोटः– लिखित परीक्षा के बाद व्यावहारिक परीक्षा हेतु विस्तुत सूचना प्रकाशित की जायेगी एवं प्रकाशित सूचना के आलोक में ही व्यावहारिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

- प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार वैसे अभ्यर्थी नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

C. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–1003, दिनांक–22.01.2021 एवं पत्रांक–12897, दिनांक–28.07.2022 के आलोक में समान पद पर संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता दी जायेगी।

(i) संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा) दी जायेगी। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि–02.02.2026 तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जाएगी।

(ii) परन्तु उक्त वर्णित उम्र सीमा में शिथिलिकरण एवं कार्यानुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति में दिया जायेगा, जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो।

(iii) उपर्युक्त सुविधाएँ केवल विधिवत्त नियोजित संविदा कर्मियों को संकल्प ज्ञापांक–1003, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में अनुमान्य होगी। ये सुविधाएँ अवैध नियुक्तियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों एवं बाह्य सेवा प्रदाता से सेवा प्राप्त करने के संबंध में लागू नहीं होगी।

(iv) इस विज्ञापन के अन्तर्गत पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

7. मेधा सूचीः–व्यावहारिक जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात् लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं संविदा के आधार पर प्राप्त अधिमानता अंक को जोड़कर मेधा सूची आयोग द्वारा तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्धारण किया जायेगा। सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक